

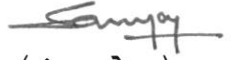
उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-10
संख्या-160/एक-10-2020-33(46)/2018
लखनऊ: दिनांक: २७ मार्च, 2020

कार्यालय ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2019-20 में राहत आयुक्त कार्यालय के अधिष्ठान मद के कार्यालय व्यय मद में प्राविधानित धनराशि कम होने के दृष्टिगत अनुदान संख्या-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं-090-सचिवालय-03-दैवीय आपदा सम्बन्धी अधिष्ठान मद में 02 मजदूरी व्यय मद के सम्भावित बचतों से धनराशि ₹0 6.50 लाख पुनर्विनियोग कर निम्न विवरण के अनुसार राहत आयुक्त, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	लेखाशीर्षक/मद	स्वीकृत धनराशि (धनराशि लाख ₹0 में)
1.	अनुदान संख्या-51 में लेखाशीर्षक "2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं- 090-सचिवालय- 03-दैवीय आपदा सम्बन्धी अधिष्ठान - 08-कार्यालय व्यय	6.50
योग		6.50
(रूपये छः लाख पचास हजार मात्र)		

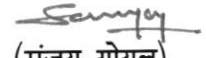
- 2- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2052-सचिवालय सामान्य-सेवाएं-090-सचिवालय-03-दैवीय आपदा सम्बन्धी अधिष्ठान मद के नामे डाला जाएगा।
- 3- उक्त आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-आरई-714/ई-5-533/दस-2020, दिनांक 26 मार्च, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।


(संजय गोयल),
सचिव।

संख्या-160(1)/एक-10-2019-29(46)/2018, तदुदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज को बीएम प्रपत्र-9 की मूल प्रति सहित (रजिस्टर्ड डाक से)।
- 2- राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय, उ0प्र0।
- 5- वित्त(आय-व्यय) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5/राजस्व अनुभाग-6/11
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय गोयल),
सचिव।